झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08/ज०सं०(नि०) विविध–15–03/2019 ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त, राँची
उपायुक्त, देवघर
उपायुक्त, सरायकेला खरसांवा

विषय : **माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष विचाराधीन याचिकाओं के निष्पादन में उदासीनता बरतने एंव प्रमण्डल/कार्यालय (संबंधित अभियंताओं) के अधीन याचिकाओं में अभी तक प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किये जाने के मामले में हुए स्पष्टीकरण के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय ज्ञापांक– 928 ज्ञापांक –906, ज्ञापांक –934 एवं ज्ञापांक –955 दिनांक– 11.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाय। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष विचाराधीन याचिकाओं के निष्पादन में उदासीनता बरतने एवं संबंधित अभियंताओं के प्रमण्डल/कार्यालय के अधीन याचिकाओं में वर्त्तमान समय तक प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किये जाने के क्रम में उक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों/अभियंताओं से कारण पृच्छा की गयी एवं उनके माह फरवरी 2019 का वेतन अवरूद्ध (निर्धारित तिथि दिनांक– 18.02.2019 तक स्पष्टीकरण/अद्यतन स्थिति की सूचना/अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में) रखने का निदेश देते हुए इसकी सूचना आपको दी गयी थी।

उपर्युक्त के संबंध में (संबंधित पदाधिकारी/अभियंताओं द्वारा) विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं करने/SOF समर्पित नहीं करने के कारण चेतावनी देते हुए निम्न पदाधिकारियों/अभियंताओं के माह फरवरी 2019 के वेतन विमुक्त (Release) करने का निर्णय लिया गया है :–

1	श्री सुनील कुमार	अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास आदित्यपुर, जमशेदपुर
2.	श्री अजय कुमार सिंह	पुनर्वास पदाधिकारी सं०–02, चांडिल
3.	श्री नागेश मिश्रा	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, राँची।
4.	श्री ब्रजेश चन्द्र सिन्हा	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त पदाधिकारियों एवं अभियंताओं का वेतन विमुक्त (Release) कर कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O

D:\MINZ\Letter\Joint. Sec\08_J.S.(N) _ v_15_03_2019.docx 6

ज्ञापांक : ..../राँची, दिनांक : ....

प्रतिलिपि : उक्त सभी संबंधित पदाधिकारी/अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त विभागीय निदेश का अनुपालन/वाद से संबंधित SOF एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करते हुए विभाग को भी कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1760/राँची, दिनांक : 29/3/19

प्रतिलिपि : विशेष सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव